**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**सोमवार, 28 जुलाई, 2014, 6 श्रावण, 1936 (शक) अतारांकित प्रश्‍न सं. 2091**

**राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में अनियमितताएं**

**2091. श्री अरविन्द कुमार सिंह:**

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के सतर्कता डिविजन द्वारा एडीबी द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में हुई अनियमितताओं की गई जांच के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में हुई इन अनियमितताओं की सीबीआई जांच करवाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री कृष्‍णपाल गुर्जर)**

**(क) से (घ)** एशियन विकास बैंक (एडीबी) द्वारा वित्‍त पोषित हैदराबाद-बैंगलौर के रारा-7 खंड के अनुबंध पैकेज के संबंध में एक अज्ञात शिकायत प्राप्‍त हुई है और भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की सतर्कता डिविजन में इसकी जांच चल रही है। एशियन विकास बैंक (एडीबी) द्वारा वित्‍त पोषित एक अन्‍य परियोजना में सरकारी लेखापरीक्षा अधिकारी ने रारा-76 के कोटा-बारां की परियोजना के लिए इस्‍तेमाल की गई सामग्री पर आबकारी ने अधिक छूट दिये जाने की बात कही है। जांच चल रही है और सीमा शुल्‍क व आबकारी विभाग और परियोजना क्रियान्‍वयन एकक से ब्‍यौरा मंगाया जा रहा है। चूंकि दोनों मामलों में अभी जांच चल रही है, इस स्‍तर पर किसी अन्‍य एजेंसी द्वारा आगे जांच करवाने की आवश्‍यकता नहीं है।

\*\*\*\*